


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11(7)/वित्त (नियम)/2008 दिनांक 12.09.2008 एवं आदेश संख्या एफ. 11(7)/वित्त (नियम) पार्ट -1/2008 दिनांक 06.10.2008 के अनुसिरण में राजस्थान शिक्षा सेवा में निम्नांकित अधिकारियों (व्याख्याताआ) को राजस्थान पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2008 के नियम -19 के तहत उनके ताम के आगे अंकित विवरण अनुसार एसीपी (आश्वासित केरियर प्रगति), के वेतन बेण्ड (9,300-34,800) / (15,600-39,100) कॉलम संख्या 8 के अनुसार ग्रेड वेतन, कालम संख्या 9 में अंकित तिथि से स्वीकृत किया जाता है।

क. स.	नाम व पद स्थापन स्थान सर्वश्री/सुश्री /श्रीमती रा. उ.मा.वि.	जन्मतिथि	व्याख्याता विषय	प्रथम नियुक्ति तिथि	व्याख्याता पद पर चयन का प्रकार	स्वीकृत एसीपी	स्वीकृत ग्रेड वेतन	स्वीकृत तिथि
1	शिवलाल झाला, राउमावि लावा, सरदारगढ,राजसमन्द	04.08.56	शा0 शिक्षा	27.09.83	डीपीसी	30 वर्ष	6000	27.09.13


पुनरक्षित वेतनमान नियम-2008 के तहत इनक वेतन सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण सम्बन्धित व्याख्याता का एसीपी (आश्वासित केरियर प्रगति) स्वीकृति तिथि (कॉलम संख्या-9 में अंकित तिथि) को पुनरक्षित वेतनमान नियम-2008 में पूर्व में प्राप्त किये जाने वाले वेतन की 3 प्रतिशत वेतनवृद्धि एवं ग्रेड वेतन की अन्तर राशि जोड़कर किया जावेगा। इस स्वीकृति का इन्द्राज सम्बन्धित अधिकारी की सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से अंकित किया जावे। राज्यधीन से पूर्व का ऐरियर अनुदानित संस्था से देय होगा।


(बद्रीलाल स्वर्णकार)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/माध्य/संस्था/सी-5/एसीपी/2016
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक - 02-06-2016

1. उपनिदेशक (माध्य) शिक्षा
2. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
3. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्राध्यापक
4. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
5. निजी/रक्षित पत्रावली


संयुक्त-निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर